

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जनवरी 2014—पौष 25, शक 1935

सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. एफ 2-13-2011-छब्बीस-1.—निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारी संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा-32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 1 जनवरी 2013 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लेखित एक विभाग की स्थापना की अनुसूची—दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है :—

अनुसूची—एक

(1) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. जादौन, उपसचिव.

अनुसूची—दो

निःशक्तों के लिए चिन्हांकन

विभाग का नाम—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

श्रेणी (1)	पद संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	योग (4)	पदों की संख्या कुल योग पद (6 प्रतिशत)	चिन्हांकन पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
तृतीय	मलेरिया अधिकारी.	11 एवं पदोन्नति द्वारा 31.	42	3	3	-	-	3	मलेरिया अधिकारी के पद का कार्य मैदानी स्तर का होने के कारण दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित में छूट प्रदान की है।

हस्ता./-
श्रीमती एस. खण्डाते
 अवर सचिव,

हस्ता./-
क्षी. के. बाथम
 सचिव,